गोरधन / सचिन

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
20.9.21	पत्रावली पेश हुई। सहित रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा-5 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अधि. को सुना गया। अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ कैविएट प्रार्थना-पत्र संलग्न है। अतः कैविएटकर्ता अभिभाषक को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 28.9.21 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	
28.9.21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित/ मौजूद। संरम्भा-1 की ओर से श्री रामअवतार शर्मा एड. के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया, रेस्पो. अधि. को नकल अपील एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन दिनांक 1.10.21 को पेश हो। [signature]	नकल प्राप्त की [illegible] [signature]
1.10.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के वकीलों की स्थगन प्रा. पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रा. पत्र दि० 4.10.2021 को पेश हो। [signature]	
4.10.21	पत्रावली स्थगन प्रा. पत्र पर आदेशार्थ पेश हुई। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने स्थगन प्रा० पत्र पर बहस करते हुए अभिकथन किया है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 784, 784/1227 वाके ग्राम खोहर तहसील बहरोड़ में से $\frac{1}{2}$ हिस्सा मैंने खरीदा है। वक्त खरीद से मैं काबिज चला आ रहा हूं। मैं जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में बयनामा के आधार पर $\frac{1}{2}$ भाग का खातेदार दर्ज हो गया हूं। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच विवाद रोहताश के $\frac{1}{2}$ भाग का है। मेरे $\frac{1}{2}$ भाग का विवाद नहीं है। तहत अदालत ने गलत तौर पर सम्पूर्ण भूमि	

— लगातार —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	

पर स्थगन जारी कर दिया । मैं रिकॉर्डेड खातेदार हूं । कानूनन मुझे स्थगन से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे ।

जवाब में विद्वान वकील कैवियटर का कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पो० सं० 3 आपस में सगे भाई है । इन्होंने हरियाणा की अपनी दादालाई की भूमि बेच कर राजस्थान में प्रश्नगत भूमि खरीदी है । रेस्पो० सं० 03 रोहताश हमारा सगा दादा है । वह हमको अपने हकों से वंचित करके भूमि खुदकुर्द करना चाहता है । इसलिये तहत अदालत में हमने दावा एवं धारा 212 का प्रा० पत्र पेश किया । तहत अदालत ने सही तौर पर स्थगन जारी किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां स्थगन प्रा० पत्र का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके निस्तारण हेतु प्रथमदृष्टया मामले को देखना होता है । चूंकि अपीलांट विवादित भूमि के $\frac{1}{2}$ भाग का रेकॉर्डेड खातेदार है । इसलिये स्थगन हेतु अपीलांट का प्रथमदृष्टया मामला बनना जाहिर होता है ।

अतः आदेश है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दि० 16.1.2020 को विवादित भूमि खसरा

— लगातार

गोरधन / सचिन

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	784, 784/1227 वाके ग्राम खोहर तहसील बहरोड में दर्ज अपीलांट के $\frac{1}{2}$ हिस्से की हद तक स्थगित किया जाता है।	

अब प्रश्न यह है कि इस अपील को आगे चलाया जावे अथवा इसी स्तर पर निर्णीत कर दी जावे। चूंकि धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा. पत्र का निस्तारण उभयपक्ष की सुनवाई करके होना है। ~~इसी~~ ऐसी स्थिति में हम CPC के प्रावधानों में दी गई समयावधि में धारा 212 के प्रा. पत्र का निस्तारण हेतु तहत अदालत को निर्देशित किया जाना न्यायसंगत समझते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो धारा 212 के प्रा० पत्र में उभयपक्ष को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि में उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर